मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./ 9497 /MGNREGS-MP/2012 भोपाल, दिनांक 8/10/12

प्रति,

- कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
  महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना,
  जिला – समस्त

विषय :– जॉब कार्ड में नाम जोड़ने/काटने के संबंध में।

संदर्भ :– (1) म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 14230/22/वि–7/ग्रारो/2005 दिनांक 07.10.2005
(2) म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 606/22/वि–7/ग्रारो/2005 दिनांक 16.01.2006
(3) म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद का पत्र क्र. 10615/एनआर–1/योजना दिनांक 19.10.2010

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें जॉब कार्ड जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत को अधिकारिता दी गई है। किसी भी ग्रामीण परिवार के विघटन होने, नवीन परिवार के ग्राम पंचायत क्षेत्र में बसने अथवा स्थायी रूप से ग्राम पंचायत से पलायन करने पर जॉब कार्ड के संबंध में यथोचित निर्णय लेने हेतु ग्राम पंचायत अधिकृत है।

इसी प्रकार, किसी परिवार में नवीन वयस्क सदस्य के शामिल होने अथवा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर भी जॉब कार्ड में नाम जोड़ने/काटने हेतु ग्राम पंचायत ही अधिकृत रहेगी। इस हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, ग्राम पंचायत की अनुशंसा एवं पावती का प्रारूप संलग्न है।

कृपया संलग्न प्रारूप को समस्त ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

पृ.क्र./ 9498 /MGNREGS-MP/2012 भोपाल, दिनांक 8/10/12

प्रतिलिपि :–

1. संभाग आयुक्त .... (समस्त) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, MGSIRD जबलपुर एवं प्राचार्य, ETC .... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

1. आवेदन पत्र

फोटो

प्रति,

सरपंच / पंजीकरण अधिकारी,
ग्राम पंचायत ....

विषय :— जॉब कार्ड में नाम जोड़ने / काटने के संबंध में।

निवेदन है कि श्री / श्रीमती / कु. .... का नाम जॉब कार्ड में जोड़ना / काटना है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:—

A. व्यक्तिगत विवरण:—

- नाम : : ....
- पिता / पति का नाम : ....
- मूल ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत का नाम : ....
- मूल जॉब कार्ड क्रमांक जिसमें आवेदन दिनांक तक सदस्यता थी : ....
- मूल जॉब कार्ड अनुसार परिवार के मुखिया का नाम : ....

B. जॉब कार्ड का विवरण जिसमें नाम जोड़ा / काटा जाना है:— : ....

- जॉब कार्ड नम्बर जिसमें नाम जोड़ा / काटा जाना है : ....
- जॉब कार्ड अनुसार परिवार के मुखिया का नाम : ....
- आवेदन दिनांक तक परिवार द्वारा किए गए रोजगार दिवसों की संख्या : ....

C. जॉब कार्ड से नाम जोड़ने / काटने का कारण (विवाह / तलाक / मृत्यु / अन्यत्र निवास / व्यस्क होने पर / पारिवारिक बंटवारा / अन्य) : ....

दिनांक .... (परिवार के मुखिया का नाम एवं हस्ताक्षर)

---

2. ग्राम पंचायत द्वारा परीक्षण पत्र

श्री / श्रीमती / कु. .... का नाम जॉब कार्ड क्र. .... में जोड़ने / काटने हेतु दिनांक .... को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत द्वारा परीक्षण उपरांत श्री / श्रीमती / कु. .... का नाम जॉब कार्ड क्र. .... में जोड़ने / काटने की अनुशंसा की जाती है / नहीं की जाती है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर एवं सील

सचिव,
ग्राम पंचायत ....

सरपंच / पंजीकरण अधिकारी
ग्राम पंचायत ....

---

3. पावती

श्री / श्रीमती / कु. .... का जॉब कार्ड क्र. .... में नाम जोड़ने / काटने का आवेदन पत्र दिनांक .... को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर एवं सील

सरपंच अथवा सचिव / ग्राम रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत ....

02.10.12